( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 17/2019**

बउनवान

1. प्रभुलाल पुत्र गजानन्द जाति धाकड़ निवासी दीगोद खालसा तह0 छीपाबड़ौद
2. नेमीचन्द पुत्र गजानन्द जाति धाकड़ निवासी दीगोद खालसा तह0 छीपाबड़ौद
3. दयाकृष्ण पुत्र गजानन्द जाति धाकड़ निवासी दीगोद खालसा तह0 छीपाबड़ौद
4. ओमप्रकाश पुत्र गजानन्द जाति धाकड़ निवासी दीगोद खालसा तह0 छीपाबड़ौद

(अपीलांटगण)

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र पानाचन्द जाति धाकड़ निवासी दीगोद खालसा तह0 छीपाबड़ौद
2. रामावतार पुत्र पानाचन्द जाति धाकड़ निवासी दीगोद खालसा तह0 छीपाबड़ौद

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/69 दिनांक 26.06.2019 के अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री नन्दकिशोर गुर्जर अभिभाषक (रेस्पोडेन्टगण)

## निर्णय दिनांक 22.02.2021

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/69 दिनांक 26.06. 2019 की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 25.10.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई।

**अपीलांटगण के अभिभाषक** द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.06.2019 मूल पर हीं दिनांक 18.06.2019 को हल्का पटवारी दीगोद खालसा को आदेशित करके भिजवाया कि जांच कर रास्ता खुलासा करे। उक्त आदेश की अनुपालना में हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 22.06.2019 को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.06.2019 को आदेश पारित किया कि अपीलांटगण द्वारा रास्ता रोका गया है तथा कानून व्यवस्था भंग की गई है, निरोधात्मक कार्यवाही की जाने हेतु पु[illegible] इस आदेश के अनुसरण में पुलिस थाना, छीपाबड़ौद को तहरीर भिजवायी, जिस [illegible] अपीलांटगण के खेत पर वर्षों पुराने पत्थरों के कोट को तोड़कर पत्थर हटा [illegible] शान्तिभंग में गिरफ्तार किया। जिसकी निगरानी अपीलांटगण द्वारा ए0डी0जे0 कोर्ट, छीपा[illegible] में प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्टगण के खाते की आराजी खसरा नं0 255 का अपीलांटगण की आराजी खसरा नं0 556 की [illegible] से होकर कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा। रेस्पोडेन्टगण खसरा नं0 5[illegible] व खसरा नं0 554 की [illegible] रास्ते से अपनी आराजी पर आते–जाते थे। विगत 7 वर्षों से रेस्पोडेन्टगण की आराजी को उनका भानेज मुकेश मुनाफा काश्त करता आ रहा है। खसरा नं0 554 व 526 के मध्य दो वर्ष पूर्व छोटी माईनर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:15:10 IST
Reason: SelfAttested

का निर्माण होने से रेस्पोडेन्टगण का कदीमी रास्ता बन्द हो गया। अपनी आराजी के पूर्वी–उत्तरी कोने से माईनर तक मुआवजे पर रास्ता प्राप्त करने हेतु रेस्पोडेन्टगण द्वारा एस0डी0ओ0 छीपाबड़ौद में धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2019 को पेश किया। अपीलांटगण के खाते की आराजी के पूर्वी ओर वर्षों पुरानी कोट की बाड़ हो रही है। रेस्पोडेन्टगण तहसील छीपाबड़ौद के पारित अवैधानिक आदेश की आड़ में अपीलांटगण की आराजी पर रास्ता कायम करने को आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 251 आर.टी.एक्ट के प्रकरण को सुनने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है। अधी0 न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न तो दर्ज किया और न हीं उक्त प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विचारण किया।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जाकर अधी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2019 निरस्त फरमाया जावें तथा अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

**रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक** द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधी0 न्यायालय छीपाबड़ौद में रेस्पोडेन्टगण द्वारा दिनांक 18.06.2019 को प्रार्थना–पत्र रास्ता खुलासा करवाने बाबत् प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पटवारी हल्का को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लिखा गया। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.06.2019 को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा दिनांक 26.06.2019 को थानाधिकारी, छीपाबड़ौद को रास्ता खुलासा करने हेतु लिखा गया। अधी0 न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/69 दिनांक 26.06.2019 की 4 माह बाद विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है जबकि उक्त प्रकरण में तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा आदेश दिनांक 18.06.2019 को दिया गया है न कि 26.06.2019 को। चूंकि दिनांक 26.06.2019 के आदेश से तो थानाधिकारी पुलिस थाना, छीपाबड़ौद को बंद रास्ते को खुलासा करवाने हेतु लिखा गया है। प्रकरण में तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा कोई नया रास्ता कायम नहीं किया गया है। पुराने रास्ते पर पत्थर का कोट किया जाकर पूर्णतया बंद कर दिया गया था, उसे हीं खुलासा करवाया गया है। जिसकी पालना रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अतः अपीलांटगण द्वारा गलत आदेश की अपील की गई है जो स्वतः ही निरस्तनीय होने से अपीलांट की अपील खारिज की जावें।

**मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस** सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद ने अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/69 दिनांक 26.06.2019 से थानाधिकारी पुलिस थाना, छीपाबड़ौद को अपीलांटगण द्वारा पत्थर का कोट कर रेस्पोडेन्टगण का रास्ता पूर्णतया बन्द कर दिये जाने के कारण उक्त रास्ता खुलासा कर अपीलांटगण को पाबन्द करने हेतु आदेश दिया गया था। जिसकी पालना रिपोर्ट भी थानाधिकारी, छीपाबड़ौद से पत्रांक 3836 दिनांक 08.07.2019 से अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है। साथ ही पटवारी रिपोर्ट में भी प्रश्नगत स्थान पर परम्परागत रास्ते का होना अवगत कराया गया है जो कि पत्रावली में संलग्न है। उक्त आदेश की अपील अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:15:10 IST
Reason: SelfAttested

( मोहम्मद अबूबक्र )
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ